

संख्या ..3399/12-01-2015



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या: 1077 / 2014-15

फाइल संख्या-AZ-4775

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी, ग्राम-खानीकाह, पो0-जीयनपुर, तह0-सगड़ी, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या: 653 / 1999-2000, दिनांक 06.01.2000 को दिनांक 05.01.2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 / - रुपये नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 12-01-2015

  
12/01/2015

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AB 842282

श्री अशोक कुमार शर्मा, 200 क्लेश नाल  
2003 बेल जेयर सोसाइटी  
ए. आ. आजमगढ़ नं०-A-2-1775  
लक्ष्मी कृति पत्र



राज्य-प्रतिलिपि

सहायक निबंधक  
फॉर्म सोसाइटीज एवं चिट्ठे  
आजमगढ़।



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES  
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AB 842283

सहायक निबन्धक सचिवालय  
राज्य वेलापे मर सोसाइटी  
दोसा आजमगढ़  
संज्ञावर्ति शमावली नं० A2-4775  
संज्ञावर्ति शमावली



सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक  
फर्म सोसाइटीज एवं चिदस  
आजमगढ़।



## -: संशोधित स्मृति पत्र :-

- १:संस्था का नाम : एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी ।
- २:संस्था का पता : ग्राम- खानीकाह बहरामपुर पो०- जीयनपुर तह०- सगड़ी,  
: जिला- आजमगढ़, उ० प्र०।
- ३:संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
- ४:संस्था के उद्देश्य १ : आधुनिक विधि द्वारा बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना और उसकी पूर्ति हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीडांगन आदि की व्यवस्था करना ।
- २: बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करते हुए उनका सर्वांगीण विकास करना ।
- ३: जनहित में शिक्षा का प्रचार - प्रसार करना तथा शिक्षण - प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना ।
- ४: जनकल्याण के सभी प्रकार के कार्य करना तथा बच्चों में राष्ट्रीय भावना पैदा करना ।
- ५: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत पूर्व- प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों, आई०सी०एस०ई० विद्यालयों, बिन्दुवाणी मुक्त विश्व विद्यालयों, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।
- विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिमअंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का क्रय व वितरण करना ।
- बाल श्रमिकों को चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बच्चुओं मजदूरी के क्षेत्र में काम करे कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना
- कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्वेण्ट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रमपद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्धविद्यालयों, अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालयों, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, तकनीकी विद्यालयों, औद्योगिक, प्रौद्योगिक विद्यालयों, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।
- गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बालश्रमिक, दलित, विकलांगों मेघावी, निराश्रित, असहाय तथा मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, वीरगति प्राप्त, विकलांग सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

पूज्यादेवी

आनन्द कुमारी

वृजवाली

अरुण कुमारी

श्रीमती लीलाप्रतीदेवी

मूलानन्द

R. Singh

A. K. Singh

निराला सिंह

विन्दु

२३/११/१५

१०:

**सत्य-प्रतिलिपि**

सहायक निबन्धक  
एज्यूकेशनल एंड वेलफेयर  
सोसाइटीज एवं विन्दु  
आजमगढ़ ।



संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम,पिता/पति का नाम,पता पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया :-

क्र०सं०नाम	पिता/पति कानाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री अरविन्द कुमार जायसवाल	श्री सूर्यनरायन प्रसाद	अजमतगढ़, आजमगढ़	अध्यक्ष	कृषि
२:श्रीमती फूला सिंह	श्री आनन्द कुमार सिंह	खानकाह, जीयनपुर, आजमगढ़	प्रबन्धक	गृहिणी
३:श्री अरुण कुमार शर्मा	श्री शिवमूर्ति राय शर्मा काझा खुर्द, मऊ		उपप्रबन्धक प्रथम	कृषि
४:श्री बृजवासी सिंह	स्व० झुलन बिहारी	इसरापार, रामगढ़, आजमगढ़	उपप्रबन्धक द्वितीय	"
५:श्री आनन्द कुमार सिंह	श्री सत्यदेव सिंह	खानकाह, जीयनपुर, आजमगढ़	मंत्री	"
६:श्रीमती अर्चना शर्मा	श्री अनिल कुमार शर्मा	काझाखुर्द, मऊ	उपमंत्री	गृहिणी
७:श्रीमती लीलावती	श्री रामअवध राय	मऊ	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
८:श्री मूलचन्द राम	श्री रामपति राम	खानकाह, जीयनपुर, आजमगढ़	सदस्य	कृषि
९:श्री राणा प्रताप सिंह	श्री इन्द्रजीत सिंह	झडागाँव, हरखोरी, आजमगढ़	"	"
१०:श्री रघुनाथ राय	स्व० विशाल राय	बरमौली, हरैया, आजमगढ़	"	"
११:श्री अनन्त कुमार सिंह	स्व० सत्यदेव सिंह	इशरापार, रामगढ़, आजमगढ़	"	"
१२:श्रीमती निर्मला सिंह	श्री अनन्त कुमार सिंह,,	"	"	गृहिणी



६:हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजि०एक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं ।

दिनांक

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

R. Singh

A. K. Singh

फूला देवी

रघुनाथ

अरविन्द

सत्य-प्रतिलिपि

राज्यायक निबन्धक  
सोसाइटीज एवं बिद्व  
आजमगढ़

8/6/12



## -: संशोधित नियमावली :-

- 1: संस्था का नाम : एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी ।  
2: संस्था का पता : ग्राम- खानीकाह बहरामपुर पो- जीयनपुर तह- सगड़ी, जिला- आजमगढ़, उ० प्र०।  
3: संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।  
4: संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार  
5: संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त में कम से कम ३०००/-या उससे अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से सदस्यता शुल्क स्वरूप देंगे तथा संस्थाहित में कार्य करेंगे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे ।

विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषीभाव रखने वाले होंगे तथा संस्था को ३००/-रूपया हर पाँचवे साल सदस्यता शुल्क देते रहेंगे संस्था के विशिष्ट सदस्य बने रहेंगे ।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्थाहित में सदैव कार्यरत रहेंगे तथा संस्था को ५९/-रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देते रहेंगे संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेंगे ।

सदस्यता ग्रहण करने की अहर्ता- वह भारतीय नागरिक हो तथा उसकी उम्र १८ साल या उससे अधिक हो।

६: सदस्यता की समाप्ति १: मृत्यु होने पर ।

२: पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर ।

३: संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

४: त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

५: लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित सूचना दिये अनुपस्थित होने पर ।

६: किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराधिक केस में दोष सिद्ध किये जाने पर।

७: सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर ।

७: संस्था के अंग

१: साधारण सभा  
२: प्रबन्धकारिणी समिति

८: साधारण सभा

गठन

बैठक

सूचनाअवधि

कोरम

नियमावली के नियम ५ के सभी सदस्य मिल कर साधारण सभा का गठन करेंगे । साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर १३ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना ९ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का २/३ होगा, कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जिसकी तिथि, कार्यक्रम व समय प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

K. Singh वृषकारना

A.K. Singh मूलचन्द

निर्मलानीह

आनन्द कुमार शर्मा  
अरुण कुमार

सहायक निबंधक  
एजुकेशनल सोसाइटीज एवं चिद्व  
आजमगढ़।



साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

- १: प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना ।
- २: संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देख भाल एवं सुरक्षा करना ।
- ३: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

६: प्रबन्धकारिणी समिति:

- गठन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें ०७ पदाधिकारी एवं ०५ सदस्य होंगे कुल संख्या १२ होगी ।
- बैठकें प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।
- सूचनाअवधि प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को कम से कम ६ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना २ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।
- कोरम प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों/पदाधिकारियों का २/३ बहुमत के आधार पर माना जायेगा कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति: प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए साधारणसभा में से नियमानुसार की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य

- १: संस्थाहित में शाखा संस्थाओं के संचालन हेतु उपसमितियों/उपकमेटियों का गठन एवं संचालन करना ।
- २: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारणसभा से पासकराना ।
- ३: कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/पदपूर्ति/नियमितीकरण एवं अन्य कार्यवाही किसी सक्षम पदाधिकारी की लिखित संस्तुति पर करना ।
- ४: संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना ।
- ५: स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना ।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पाँच साल तक होगा ।

१०: प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य:

- अध्यक्ष
- १: सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
  - २: बैठकों को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना ।
  - ३: बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना ।
  - ४: बैठकों की तिथि, समय व स्थान का निर्धारण करना ।
  - ५: बैठकों में प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करना ।

आनन्द कुमार सिंह

पूर्व अध्यक्ष



श्रीमती लीलावती देवी

निर्मला सिंह



- प्रबन्धक १: साधारण सभा की बहुमत की माँग पर कार्यकारिणी भंग करना कार्यकाल बढ़ाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव कराना ।
- २: दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हें क्रियान्वित करना ।
- ३: वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा क्षमादान का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना ।
- ४: बैठकों में विधन पहुँचाने वाले दोषी लोगों को बैठक से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना, तथा त्याग पत्र स्वीकार करना ।
- ५: किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना ।
- ६: संस्था के धन को संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना ।
- ७: संस्था के समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजों का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना
- ८: संस्था के पक्ष में मिलने वाले ऋण, अनुदान, दान, चन्दा, भूमि, भवन आदि को प्राप्त करना तथा उसकी यथा विधि रसीद देना ।
- ९: बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना
- १०: संस्था की ओर से समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।
- ११: कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, वेतनवृद्धि, नियमतीकरण एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धसमिति को लिखित संस्तुति देना ।
- १२: संस्था के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना तथा संस्था/संस्थाओं की किसी कर्मचारी के जाँच की अवधि तक निलम्बित करना तथा जाँच की रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना ।
- १३: सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना और उसकी रसीद देना ।
- १४: सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना तथा सदस्य बनाना ।
- १५: सदस्यता ग्रहण करने योग्य पत्र व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना ।
- १६: संस्था की चल / अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना ।
- उपप्रबन्धक १: प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग उसके पूर्व निर्देशानुसार करना ।
- प्रथम १: उपप्रबन्धक प्रथम की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग उसके पूर्व
- उपप्रबन्धक १: उपप्रबन्धक प्रथम की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग उसके पूर्व निर्देशानुसार करना ।
- द्वितीय १: संस्थाहित में सभी प्रकार का कार्य करना ।
- मंत्री २: आपात स्थिति में बैठकों को बुलाना ।
- ३: आय व्यय के बजट को पास कराने में मदद करना ।
- ४: बैठकों की तिथि, समय व स्थान की सूचना सदस्यों को देना ।
- ५: संस्था को मजबूत बनाये रखने हेतु कार्य करना ।
- ६: संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना ।
- उपमंत्री १: मंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना ।

श्रीमती लीलावती देवी निरीक्षा सिंह  
यूज कार्डी H.P. Singh

आनन्द कुमार सिंह लालपन्थ

A. K. Singh

३०/११/१६

युवा विकास प्रतिष्ठान

राज्य निबन्धक  
कॉमर्स सोसाइटीज एवं विद्या  
आजमगढ़।



- कोषाध्यक्ष
- १: आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ।
  - २: प्रबन्धक की सहमति पर समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना ।
  - ३: प्रबन्धक की सहमति से समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना ।
  - ४: आय व्यय के लेखा जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में पेश कर पास करवाना
  - ५: संस्था की प्रगति का प्रचार प्रसार करना ।
  - ६: समस्त ज्ञापनों -विज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान कराना ।

११:संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के २/३ बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।

१२:संस्था का कोष: संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

१३:संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण/आडिट :

संस्था के वर्ष भर के आय व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा किया जायेगा ।

१४:संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :  
अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दाखिल होने वाले मुकदमों की किसी प्रबन्धक द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद आजमगढ़ के न्यायालय में ही देखे जा सकेंगे ।

१५:संस्था के अभिलेख

- १:सदस्यता रजिस्टर
- २:कार्यवाही रजिस्टर
- ३:स्टाक रजिस्टर
- ४:सूचना रजिस्टर
- ५:कैश बुक आदि।

१६:संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोरजि०एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी ।

श्रीमती लीलावती देवी  
आनन्द कुमारी देवी  
पूजावती  
अरुण कुमारी

डा. वि. न. य.  
R. P. Singh  
A. K. Singh

पूजा देवी

सत्य-प्रतिलिपि  
राज्यक निबन्धक  
श्रीमती सोसाइटीज एवं विद्वान  
आजमगढ़।

र. युगाध

गुलामन्द



१७: संशोधन

- ( अतिरिक्त नियमों का समावेश ) निम्नलिखित नियमों का समावेश सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है ।
- १: विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा
  - २: विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा ।
  - ३: विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचितजनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद / वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
  - ४: संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षापरिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजांमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद की मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
  - ५: संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिए जायेंगे ।
  - ६: कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
  - ७: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
  - ८: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र कक्षाओं में रखा जायेगा ।
  - ९: उपरोक्तनियम/प्रतिबन्ध क्र०सं०१ से ८ तक में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।



दिनांक

सत्यप्रतिलिपि  
 गुण वास्ता  
 आनन्द कुमार सिंह  
 अरुण कुमार

३१/११/२०

ह०

पूजा देवी

२३/११/२०

निर्मला सिंह

मूलानन्द

A. K. Singh

R. Singh

सत्य-प्रतिलिपि  
 राज्य-निर्देशक  
 सोसाइटीज एवं विद्वान  
 आजमगढ़